

कलेक्टर श्री पुरुषोत्तम ने की नगर निगम में जनशिकायत निवारण की शुरुआत

रत्नाम 21 अगस्त | कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरुषोत्तम ने नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के साथ नगर निगम सभागृह में जन शिकायत निवारण की शुरुआत शनिवार से की गई। कलेक्टर ने निगम कार्यालय में शाम 4:00 से 5:00 बजे तक मौजूद रहकर आवेदकों की समस्याएं सुनी, निगम की संबंधित शाखा को निराकरण हेतु निर्देशित किया।

कलेक्टर एवं निगम प्रशासक को नागरिकों ने 30 षिकायती आवेदन प्रस्तुत किये जिसमें दारोगा को पद से हटाने के आदेश को रद्द करने, नाले की सफाई नहीं होने, सांची मिल्क पार्लर स्थापित करने हेतु स्थान आवंटन की मांग, मोमिनपुरा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को चालू करवाने, अघोशित कचरा स्थल अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने, पानी की टंकी की सफाई आदि समस्याएं लेकर नागरिक आए जिनके समाधान के लिए कलेक्टर द्वारा संबंधित निगम अधिकारियों को निर्देशित किया गया।

जनशिकायत निवारण शिविर में वार्ड नंबर 13 के नागरिकों द्वारा दारोगा को हटाने के आदेश को रद्द करने की मांग की गई। नाहरपुरा के पंकज बैरागी द्वारा घर के बाहर बड़े नाले की सफाई नहीं होने की शिकायत की गई। शहर के मोमिनपुरा के शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को पुनः चालू करने की मांग की गई। आवेदक आसिफ अंसारी ने अपने आवेदन में बताया कि उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बंद होने से शहर के मोमिनपुरा, बरगुंडों का वास, कुमारो का वास, कसाई मंडी, खटीक मोहल्ला, सुभाष नगर के आसपास कि लगभग 10 कॉलोनियों के गरीब वर्ग के व्यक्तियों को प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। स्वास्थ्य केंद्र बंद होने से गंदगी एवं असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है जिससे कॉलोनी के लोग परेशान रहते हैं। आवेदक द्वारा यह भी बताया गया कि मोमिनपुरा डिस्पेंसरी के आसपास कचरा डाला जा रहा है जिससे क्षेत्र के रहवासियों को बीमारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, समस्या से निजात दिलाई जाए।

शहर के फ्रीगंज निवासी सुशीला उपाध्याय द्वारा आवेदन दिया गया कि राजीव गांधी सिविक सेंटर स्थित एक फ्लैट का द्वितीय मंजिल पर पंजीयन करवाया है लेकिन फ्लैट का आवंटन नहीं हो पाया है। जवाहर नगर निवासी जमील अहमद ने आवेदन दिया कि उसकी मालिकी एवं आधिपत्य के प्लाट पर अन्य व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसी प्रकार आवेदक श्यामसुंदर राठौड़ द्वारा शहर सराय में इंडिया गेट के सामने रेस्टोरेंट में कोयले की भट्टी लगी होने और उससे जहरीला धुआं निकलने की शिकायत की गई। साथ ही रेस्टोरेंट की पानी की टंकी की साफ-सफाई नहीं होने की भी शिकायत की गई। शहर के अशोकनगर में कच्ची रोड पर बड़े-बड़े गड्ढे होने और वहां भारी मात्रा में जलजमाव की शिकायत शाहिद हुसैन द्वारा की गई। उनके द्वारा मच्छर समस्या, नाली का निकास नहीं होने, गंदा पानी घरों में आने, गंदगी होने की भी शिकायत की गई। मिटाउन कॉलोनी में नल कनेक्शन को व्यक्तिगत रूप से सभी के घरों में लगाने संबंधी आवेदन भी कॉलोनी की सहकारी समिति के अध्यक्ष द्वारा दिया गया।

नागरिकों ने कलेक्टर एवं प्रशासक श्री पुरुषोत्तम को विकास शाखा 3, लोक निर्माण 5, स्वास्थ्य 5, राशनकार्ड 1, स्थापना 2, जलप्रदाय 2, लोक निर्माण/स्वास्थ्य 7, राजस्व 2, स्वास्थ्य/कर्मशाला 1 तथा संपत्तिकर/विकास शाखा की 2 शिकायतें इस तरह कुल 30 शिकायतें प्रस्तुत की।

इस अवसर पर डिप्टी कलेक्टर सुश्री शिराली जैन, एसडीएम श्री अभिषेक गेहलोत, सहायक आयुक्त श्रीमती ज्योति सुनारिया, कार्यपालन यंत्री सर्वश्री सुरेशचन्द्र व्यास, जी.के. जायसवाल, मोहम्मद हनीफ शेख, सहायक यंत्री श्री श्याम सोनी, श्री एम.के. जैन, लेखाधिकारी श्री विजय बालोद्रा, उपयंत्री सर्वश्री सुहास पंडित, श्री बी.एल. चौधरी, मनीष तिवारी, स्वास्थ्य

अधिकारी श्री ए.पी. सिंह, निज सहायक श्री सुभाष गोयल, कार्यालय अधीक्षक श्री रामचन्द्र शर्मा सहित निगम के विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

सोमवार से निगम अधिकारी एवं कर्मचारियों को ड्रेस कोड में आना होगा ड्रेस कोड में नहीं आने वालों के विरुद्ध होगी अनुशासनात्मक कार्यवाही

रत्नाम 21 अगस्त । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने निगम के अधिकारी एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि 23 अगस्त सोमवार से अपने कर्तव्य स्थल पर श्रेणीवार ड्रेस कोड में उपस्थित होवें अन्यथा संबंधितों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने बताया कि शासन द्वारा नगर निगम में कार्यरत् अधिकारी एवं कर्मचारियों हेतु श्रेणीवार ड्रेस कोड निर्धारित किया है किन्तु अधिकांश अधिकारी एवं कर्मचारिया अपने कर्तव्य स्थल पर ड्रेस कोड में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। 23 अगस्त सोमवार से श्रेणीवार ड्रेस कोड में नहीं आने वाले अधिकारी एवं कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

नगर से निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन किया जा रहा है वजन 21 अगस्त को 71 टन कचरा जुलवानिया पहुंचा

रत्नाम 21 अगस्त । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर-घर से पृथक-पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले-सूखे कचरे व सड़कों व नाले-नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पहुंचाया जा रहा है जिसके तहत 21 अगस्त शनिवार को 71 टन कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पहुंचाया गया।

21 अगस्त शनिवार को डम्पर व ट्रेक्टर ट्रॉली से 25375, काम्पेक्टर सूखा कचरा 28780, काम्पेक्टर गीला 16270, मैजिक 1005 किलो इस तरह कुल 71430 किलो कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पहुंचाया गया।

वार्ड प्रभारी मांगीलाल सुल्तान निलंबित

श्री आशीष चौहान को वार्ड 14 के साथ वार्ड 15 का अतिरिक्त प्रभार सौंपा

रत्नाम 21 अगस्त । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रत्नाम श्री कुमार पुरुषोत्तम द्वारा 21 अगस्त को निगम सभागृह में आयोजित जन शिकायत निवारण शिविर में वार्ड क्रमांक 15 के नागरिकों द्वारा वार्ड में सफाई नहीं करवाये जाने, जगह-जगह कचरे के ढेर होने की शिकायत प्राप्त होने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा वार्ड प्रभारी मांगीलाल सुल्तान को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया।

वार्ड प्रभारी मांगीलाल सुल्तान का कार्य लापरवाही पूर्ण होने, घर-घर से कचरा संग्रहण नहीं करवाने, वार्ड में सफाई नहीं करवाने तथा जगह-जगह कचरे के ढेर होने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया निलंबन काल में इनका मुख्यालय जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड रहेगा। मांगीलाल सुल्तान के स्थान पर श्री आशीष चौहान, उप स्वच्छता पर्यवेक्षक को वार्ड क्रमांक 14 के साथ वार्ड क्रमांक 15 का अतिरिक्त प्रभार सौंपा।

9 कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त करने का सूचना पत्र जारी

रत्नाम 21 अगस्त । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा शहर की सफाई व्यवस्था के निरीक्षण के दौरान कर्मचारियों द्वारा अपने कर्तव्य स्थल पर ड्रेस कोड में उपस्थित नहीं रहने तथा दो गैंग कर्मचारियों द्वारा बिना सूचना के कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहने पर एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा सफाई व्यवस्था के निरीक्षण के दौरान अनिल-सुखराम वार्ड क्रमांक 3 दरोगा, किशोर-जगराम सफाई संरक्षक झोन क्रमांक 2, राजु-मुरलीधर स्थायीकर्मी झोन क्रमांक 3, महेन्द्र-राजेन्द्र चौहान दवा छिड़काव कर्मचारी, अमर चौहान दरोगा वार्ड क्रमांक 32, धीरज-बसंतीलाल ड्हायवर वार्ड क्रमांक 21 व अनिल-चंदूलाल मैजिक हैल्पर वार्ड क्रमांक 21 द्वारा कर्तव्य स्थल पर ड्रेस कोड में उपस्थित नहीं रहने तथा झोन क्रमांक 2 के गैंग कर्मचारी अवतार-धनराज व राकेश-ओमप्रकाश द्वारा बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहने पर एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

स्पॉट फाईन दल के 6 कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त करने का सूचना पत्र जारी

रतलाम 21 अगस्त । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा शहर की सफाई व्यवस्था के निरीक्षण के दौरान स्पॉट फाईन दल द्वारा शहर में कही भी स्पॉट फाईन नहीं करते पाये जाने व शहर के मुख्य मार्गों, घरों व दुकानों के सामने कचरा पाये जाने पर दल के 6 कर्मचारियों का एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

स्पॉट फाईन दल के मनोज टांक, राकेश लालावत, पवन झाँझोट, आकाश शिन्दे, मनोज झाँझोट व नितिन-किशोर का एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

वार्ड में कीटनाशक दवा छिड़काव कार्य हेतु श्री नन्दकिशोर भूमक नियुक्त

रतलाम 21 अगस्त । नागरिकों को डेंगू मलेरिया व वर्षा जनित बीमारियों से बचाने हेतु प्रत्येक वार्ड में कीटनाशक दवा छिड़काव हेतु नियुक्त 49 कर्मचारियों को दवा छिड़काव मशीन उपलब्ध कराने, वार्ड से प्राप्त रिकार्ड संधारण करने व प्रातः 7 व दोपहर 3 बजे कर्मचारियों की उपस्थित दर्ज करने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने स्वास्थ्य विभाग के स्थायीकर्मी श्री नन्दकिशोर भूमक को नियुक्त किया है।

खुले में गंदगी करने व कचरा पात्र नहीं रखने पर 8 व्यक्तियों पर जुर्माना

गंदगी करने वालों की सूचना स्पॉट फाईन दल को दें

रतलाम 21 अगस्त । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते हैं उन पर लगाम लगाने हेतु स्पॉट फाईन दल द्वारा संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 10 अगस्त को 5 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अधिकारी, झोन प्रभारी व स्पॉट फाईन दल द्वारा खुले में गंदगी करने पर तीर्थेश्वर उपाध्याय बिरियाखेड़ी सिंधी कालोनी पर 1000, रजत रेस्टोरेंट स्टेशन रोड पर 500, घनश्याम स्टेशन रोड, मॉ वैष्णवी किराना, मॉ अम्बे किराना पीएनटी कालोनी पर 250-250, अर्जून लक्ष्मणपुरा, राठौर कचौरी कार्नर राम मंदिर व मोर्य कचौरी सैलाना बस स्टैण्ड पर 100-100 रुपये का स्पॉट फाईन कर भविष्य में गंदगी ना करने की समझाईश दी। स्पॉट फाईन की कार्यवाही स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह, झोन प्रभारी सर्वश्री पर्वत हाड़े, किरण चौहान, विनय चौहान द्वारा की गई।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है कि शहर को गंदा करने वाले नागरिकों, दुकानदारों आदि की जानकारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह मो. नं. 7471144930, झोन प्रभारी श्री पर्वत हाड़े मो. नं. 7471144931, श्री किरण चौहान मो.नं. 7471144932, श्री विनय चौहान मो.नं. 8770535145, श्री विराट मेहरा 9770326691, स्पॉट फाईन दल के

मनोज टांक मो.नं. 7000848456, पवन झांझोट मो.नं. 7000128812, आकाश शिंदे मो.नं. 9424075393, 7724981736 मनोज झांझोट मो.नं. 6268449110, राकेश ललावत मो.नं. 7000128812 को देकर नगर को साफ-स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।

सोमवार को 8 उचित मूल्य की दुकानों पर बनेंगे आयुष्मान कार्ड नगर निगम द्वारा अब तक 7158 आयुष्मान कार्ड बनाये गये

रतलाम 21 अगस्त। कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार आयुष्मान भारत “निरामयम्” योजना अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र रतलाम के शेष रहे पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड वार्डों की उचित मूल्य की दुकानों पर बनाये जा रहे हैं।

23 अगस्त सोमवार को जनता प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार सुभाष नगर, सीनियर प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार थावरिया बाजार, पुजा प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार जवाहर नगर, मरियम प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार जावरा रोड, रेलवे कन्स्यूमर सोसाईटी रेलवे कालोनी, सागर प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार रिटायर्ड कालोनी, श्रीकृष्ण महिला प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार सखवाल नगर व शांतिनाथ प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार ओझाखाली में में पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाये जायेंगे।

21 अगस्त शनिवार को जयभीम प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार सुभाष नगर, अभिजीत प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार तेजा नगर, विवेकानन्द प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार थावरिया बाजार, चारभुजा प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार जवाहर नगर, माधव प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार शक्ति नगर, गंगोत्री महिला प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार जाटो का वास, राधिका महिला प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार कसारा बाजार व घनश्याम प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार लक्ष्मणपुरा में 27 पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाये गये। इससे पूर्व वार्डवार गठित दलों द्वारा 2543 कार्ड बनाये गये थे इस तरह अब तक 7158 आयुष्मान कार्ड बनाये जा चुके हैं।

आयुष्मान कार्ड से शेष रहे पात्र हितग्राहियों से अपील की जाती है कि वे आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु समग्र आईडी, आधार कार्ड, खाद्यन्न पात्रता पर्ची के साथ उक्त उचित मूल्य की दुकानों पर संपर्क कर कार्ड बनवाने की कार्यवाही संपादित करवायें।

निगम से संबंधित करों की बकाया राशि जमा कर अधिभार (पेनल्टी) में छूट प्राप्त करें

रतलाम 21 अगस्त। शासन निर्देशानुसार नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) वैश्विक महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण प्रायः रोजगार में कमी, उद्योग-धन्धे में गिरावट, सर्विस सेक्टर आदि में शिथिलता परिलक्षित होने के फलस्वरूप निगम से संबंधित करों, उपभोक्ता प्रभार आदि की बकाया राशि एक मुश्त जमा कराने पर अधिभार (पेनल्टी) में 31 अगस्त 2021 तक छूट दी जा रही है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि संपत्तिकर तथा अधिभार की राशि रूपये 50,000/- (रूपये पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिष्ठत की छूट, संपत्तिकर तथा अधिभार की राशि रूपये 50,000/- (रूपये पचास हजार) से अधिक तथा रूपये 1,00,000/- (रूपये एक लाख) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट व संपत्तिकर तथा अधिभार की राशि रूपये 1,00,000/- (रूपये एक लाख) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।

इसके अलावा जलकर अधिभार की राशि रूपये 10,000/- (रूपये दस हजार) तक बकाया होने पर 100 प्रतिष्ठत की छूट, जलकर तथा अधिभार की राशि रूपये 10,000/- (दस हजार) से अधिक तथा रूपये 50,000/- (पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट, जलकर तथा अधिभार की राशि रूपये

50,000/- (पचास हजार) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।

इसी तरह नगरीय निकायों द्वारा चयन की गई परिसंपत्तियों के भूभाटक/किराये की अधिभार सहित कुल देय राशि रूपये 20,000/- (बीस हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट, अधिभार सहित कुल देय राशि रूपये 20,000/- (बीस हजार) से 50,000/- (पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट तथा अधिभार सहित कुल देय राशि रूपये 50,000/- (पचास हजार) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। उक्त छूट मात्र अधिभार पर लागू होगी तथा ब्याज, स्टॉप ड्रूटी, मूल कर, मूल उपभोक्ता प्रभार अथवा मूल भूभाटक/किराये पर लागू नहीं होगी।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से अपील की जाती है कि संपत्तिकर, जलकर व नगरीय निकायों द्वारा चयन की गई परिसंपत्तियों के भूभाटक/किराये की बकाया राशि नगर निगम कार्यालय में जमा कर उक्तानुसार छूट प्राप्त करें।

12476 मवेशियों को पकड़कर नगर के बाहर की गौशालाओं में भेजा स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को रात्रि में भी पकड़ा जायेगा

रत्नाम 21 अगस्त । रत्नाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानों, सड़कों, चौराहों पर स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को दिन में पकड़े जाने के साथ ही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा अब रात्रि में भी मवेशियों को पकड़ा जायेगा क्योंकि मवेशी पालकों द्वारा दिन में मवेशियों को बांधकर रखा जाता है तथा रात्रि में खुला छोड़ दिया जाता है जिससे शहर में गंदगी होती है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रत्नाम श्री कुमार पुरुषोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत 21 अगस्त तक शहर के विभिन्न क्षेत्रों से 1276 मवेशियों को पकड़ा जाकर जिले की विभिन्न गौशालाओं में भेजा गया। अभियान के तहत 21 अगस्त को अलकापुरी, सनसिटी, जवाहर नगर, 80 फीट रोड, सज्जनमिल रोड आदि क्षेत्रों से 8 मवेशी निगम के स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा पकड़ा गया।

शहर के सार्वजनिक स्थानों, सड़कों चौराहों को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलों को अभियान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी किया गया है। शहरी क्षेत्र में मवेशियों का पालन करना नियम विपरित है, ऐसे मवेशी पालक जो कि शहरी क्षेत्र में अनुमति के विपरित तबेले एवं बाड़ों का निर्माण कर मवेशियों का पालन किया जा रहा है वे स्वयं अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते हैं तो निगम द्वारा उन्हें तोड़ा जाकर राशि वसूल की जायेगी।

नगर निगम एकट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो कि अपना घोड़ा या अन्य किसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोड़ेगा व उससे किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो पालक पर 500 रूपये का अर्थदण्ड किये जाने का प्रावधान है। निगम एकट के तहत अब स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड राशि रूपये 500/- वसूल करेगा स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाले मवेशियों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए०पी० सिंह के निर्देशन में स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा की गई।

नगर निगम ने बाढ़ नियंत्रण कक्ष व आश्रय स्थल बनाये

आपदा प्रबंधन हेतु निगम ने किये व्यापक प्रबंध

रतलाम 21 अगस्त । अति वृष्टि के दौरान उत्पन्न होने वाली संभावित परिस्थितियों से निपटने एवं आपदा प्रबंधन के लिए निगम स्तर पर की जाने वाली व्यवस्थाओं के संबंध में निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने निगम में विभिन्न विभागों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को पाबंद कर 8 आश्रय स्थलों की स्थापना की है।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निगम आयुक्त श्री झारिया ने आपदा प्रबंधन एवं राहत कार्य के लिये नियंत्रण कक्ष जिसका दूरभाष नम्बर 07412-270563 स्थापित कर उपर्यंत्रियों एवं सहायक कर्मचारियों की 8-8 घन्टे की शिफ्ट में ड्यूटी लगाई।

इसके अलावा अति वृष्टि हेतु 8 आश्रय स्थल बनाये जाकर कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है जिसके तहत् गांधीनगर कम्युनिटी हॉल पर श्री विशाल भटनागर मो०नं० 9300885504, ईश्वर नगर विद्यालय भवन पर श्री मुकेश मेहता मो० नं० 9629647211, शैरानीपुरा जमातखाना पर श्री विजय अग्रवाल मो० नं० 9907454456, अम्बेडकर मांगलिक भवन पोलोग्राउण्ड पर राजेश सिंह सेंगर मो० नं० 7697052031, अलकापुरी कम्युनिटी हॉल पर श्री प्रदीप उपाध्याय मो० नं० 9589944748, धीरजशाह नगर रॉयल हॉल पर श्री कुलदीप भट्ट मो० नं० 7471144027, भवन निर्माण कला केन्द्र बिरियाखेड़ी पर श्री महेश व्यास मो० नं० 9752971374 तथा श्री जैन उ.मा.विद्यालय सागोद रोड पर श्री सुनील कपूर मो० नं० 9644000433 को नियुक्त किया गया है। आश्रय स्थलों के व्यवस्था की जिम्मेदारी उपर्यंत्री श्री विकास मरकाम उपर्यंत्री को सौंपी गई है। जो नियुक्त किये गये कर्मचारियों के सहयोग से समुचित व्यवस्था सुनिश्चित् करेंगे।

नगर निगम के पेंशनरों को देना होगा जीवित प्रमाण-पत्र

रतलाम 21 अगस्त । संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल के निर्देशानुसार नगरीय निकायों के पेंशनरों को प्रत्येक वर्ष के माह दिसम्बर में जीवित प्रमाण-पत्र लिया जावेगा।

नगर पालिक निगम रतलाम के समस्त पेंशनरों से अपील की जाती है कि वे माह दिसम्बर 2021 से प्रत्येक वर्षान्त में जीवित प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में निगम की पेंशन शाखा में अनिवार्य रूप से जमा करावें जीवित प्रमाण-पत्र नहीं जमा कराने पर जनवरी से पेंशन भुगतान नहीं किया जावेगा।

पथ विक्रेता पी.एम. स्वनिधी के तहत 10 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त

निगम के झोन कार्यालयों में आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 21 अगस्त । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है संकल्प से सिद्धी विशेष अभियान के तहत ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने अपील की है कि नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पथ विक्रेता जिन्हे प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना अन्तर्गत राशि रूपये 10,000/- का ऋण प्राप्त नहीं हुआ है वे नगर निगम के झोन कार्यालय अलकापुरी कम्युनिटी हॉल, डॉ० अम्बेडकर मांगलिक भवन पोलोग्राउण्ड, अमृत सागर उद्यान व हरमाला पम्प हाउस कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर शीघ्र ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करें।

ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु पथ विक्रेता को आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुक, आधार कार्ड, पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाइल नम्बर साथ लाना होगा।

नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रतलाम 21 अगस्त । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना 2019 संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकों, दुकानदारों, व्यावसायिक प्रतिष्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग इकट्ठे नहीं होवें। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक—पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 21 अगस्त । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घर, दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक—पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होंने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक—पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक—पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनों पालियों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 21 अगस्त । स्वच्छ सर्वेक्षण—2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर—1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है, जिसके तहत वार्डों की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले—नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डों में गंदगी, कचरे के ढेर, नाले—नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डों की समुचित साफ—सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निष्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डों में साफ—सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार / ज.सं.वि. / हेमन्त / 21.08.2021 / न.पा.निगम, रतलाम.